

“खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र”  
(राज. भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

2022/231

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,  
शाहपुरा

प्रशासन गाँवों के संग  
अभियान-2021

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम रहड़ की  
जमाबन्दी सम्बत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 543, 542  
में मन्नी पति भूराम का नाम दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न  
उप रिकॉर्ड से जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम मनहर पति भूराम  
है। अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।  
दिनांक:- 06/06/22

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू.अ.नि.

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम रहड़ के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्बत् 2076 से 2079 के  
खाता संख्या 543, 542 में प्रार्थी का नाम मन्नी पति भूराम दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न  
उप रिकॉर्ड से जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम मनहर पति भूराम  
है। जो संशोधित किया जाना उचित है।  
अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

भू०अ०नि० मनहर पति भूराम

मन्नी पति भूराम  
पटवारी  
वड. शाहपुरा (भीलवाड़ा)

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा०भू०राज० अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर  
राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र  
पर रिपोर्ट पटवारी रहड़ एवं भू०अ०नि० मनहर पति भूराम एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर  
ग्राम रहड़ की जमाबन्दी सम्बत् 2076 से 2079 की खाता संख्या 543, 542 में प्रार्थी का  
नाम मन्नी पति भूराम के स्थान पर मनहर पति भूराम किये जाने हेतु अभिशंषा की जाती है।  
तहसीलदार/नायब तहसीलदार  
शाहपुरा (भीलवाड़ा) वाडा

उपखण्ड अधिकारी  
शाहपुरा (भीलवाड़ा)  
दिनांक 06/06/22

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम रहड़ जमाबन्दी सम्बत् 2076-79 खाता  
संख्या 543, 542 में दर्ज प्रार्थी का नाम मन्नी पति भूराम के स्थान पर मनहर पति भूराम  
संशोधन के आदेश दिये जाते हैं।



उपखण्ड अधिकारी  
शाहपुरा (भीलवाड़ा)  
प्रभारी अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
शाहपुरा (भीलवाड़ा)